पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 112/2019/अपील

बालुराम गुर्जर पुत्र नन्दाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी जवाहर नगर तन ग्राम पंचायत भारीजा जरिए अध्यक्ष राजकीय आदर्श माध्यमिक विधालय भारीजा।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 वाके ग्राम भारीजा द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत

निर्णय **दिनांकः—22.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय जिला कलेक्टर सीकर के आदेश कमांक एफ—3(14) शि.अ.म./भू.आ रजिस्टर 05 तहसीलदार दांतारामगढ की प्रस्तावना दिनांक 24.12.2004 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ की प्रस्तावना दिनांक 07.02.2005 के अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.05.1993 एवं राजस्व ग्रुप—6 विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प—6(10) राजस्थान 06.99.10 दिनांक 05.10.2001 के अनुसरण में ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 26.57 हैक्टर किस्म चारागाह में से 1.44 हैक्टर भूमि को चारागाह से पृथक की जाकर सिवाई चक घोषित की जाती है। (राजस्थान भू राजस्व स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 26.57 हैक्टर भूमि किस्म चारागाह में से 1.44 हैक्टर भूमि को चारागाह से पृथक कर सिवाय चक की गई है, को राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आवंटन करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश दिया जाता है कि पहले नामांतकरण संलग्न नक्शा ट्रेस मे बरंग हुई रेखांकित भूमि को आवंटित की गई है, का सिवाय चक का खोलकर दूसरे नामांतकरण द्वारा आवंटित की गई भूमि का नामांतकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा पालना रिपोर्ट एक माह के अंदर इस कार्यालय में भिजवाये तथा आंवटित भूमि का कब्जा संबंधित को सम्भलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 08.04.2005 को तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा नामांतरकरण संख्या 247 राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आवंटन करने की स्वीकृति के आधार पर नामांतरकरण भरना चाहिए था, परंतु तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा आदेश की पालना न कर मनमर्जी से राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के नाम से भर दिया गया। खेल मैदान हेतु आवंटित की गई भूमि को खेल मैदान हेतु आवंटित न कर राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के नाम से नामांतरकरण खोल दिया तथा जिस स्थान पर भूमि का आवंटन करना चाहिए था वहां न कर नक्शे में ग्राम चिमनपुरा की सीमा के पास तरमीम कर दिया। जिला कलेक्टर सीकर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 658

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

रकबा 26.57 हैक्टर भूमि किस्म चारागाह में से 1.44 हैक्टर भूमि को चारागाह से पृथक कर सिवाय चक की गई को राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आवंटित करने के लिए दिनांक 19.03.2005 को तहसीलदार दांतारामगढ को इसी आधार पर नामांतरकरण खोले जाने का आदेश दिया गया था परंतु तहसीलदार दांतारामगढ ने अपनी मनमर्जी व राजनेताओ के प्रभाव में आकर खेल मैदान हेतु नामांतरकरण नहीं भरकर राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के नाम से भर दिया गया है, जबकि उक्त आवंटन आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूमि जिस कार्य के लिए आंवटित की गई है उस ही कार्य के उपयोग में ली जावेंगी। पटवार हल्का द्वारा आंवटन आदेश के अनुसार आवंटित भूमि ग्राम भारीजा के दक्षिण दिशा में विधालय के पास दर्शित की गई थी, परंतु तहसीलदार द्वारा बाला बाला तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर आवंटित भूमि को ग्राम चिमनपुरा की सीमा के पास नक्शे में गलत रूप से तरमीम की गई है, इसलिए उक्त नामांतकरण आदेश की अवहेलना कर मनमर्जी से दर्शित किये जाने के कारण नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा भरा गया नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक आदेश किस्म परिवर्तन की पालना में खसरा नम्बर 658/1 रकबा 1.44 है0 सिवायचक बिना लगानी से राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के नाम तस्दीक किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2005 के मुताबिक ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 26.57 है0 किस्म चारागाह से पृथक की जाकर सिवायचक घोषित कर उक्त सिवायचक की गई भूमि को राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आंवटन करने की स्वीकृति जारी की गई है। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा अपील के सम्बंध में जवाब आवेदन पेश कर अंकित किया है कि नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 में लिपिकीय त्रुटि से गै.मु. खेल मैदान के स्थान पर गै.मु.विधालय दर्ज हो गया, इसमें केवल खेल मैदान दर्ज किया जाना संशोधन योग्य है एवं खसरा नम्बर 658 में प्रस्तावित आवंटन योग्य भूमि का नक्शा 0.50 सलंग्न है जो कि 1.44 है0 होना चाहिए था। उक्तानुसार संशोधित आदेश बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलाधीन नामांतकरण के सम्बंध में जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 19.03.2005 को पारित आवंटित आदेश राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के खेल मैदान हेतु आवंटन बाबत पारित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में भी अपीलाधीन नामांतकरण में गै.मु.खेल मैदान के स्थान पर गै.मु.विधालय संशोधन किये जाने बाबत अंकित किया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़ को अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 जो कि राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के नाम तस्दीक किया हुआ है, के स्थान पर "राजकीय माध्यमिक विधालय भारीजा के खेल मैदान हेतु" संशोधन किये जाने हेतु आदेश दिया जाता है। तरमीम में अगर कोई त्रुटि है या आवंटन आदेश से भिन्न रूप में नक्शे में तरमीम यदि की गई है तो अपीलार्थी/तहसीलदार सम्बंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन/अपील पेश कर नियमानुसार संशोधन हेतु निवेदन कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर